42

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

बयालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

बयालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

.... *मार्च,* 2022 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।*

.... *मार्च,* 2022 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।*

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना.....

प्राक्कथन.....

भाग-एक

प्रतिवेदन

(एक) प्रस्तावना .....

(दो) कार्य .....

(तीन) बजटीय आबंटन और उपयोग .....

(चार) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित विषय .....

(क) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) .....

(ख) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) .....

(ग) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) .....

(घ) विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण .....

(ङ) भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) .....

(च) कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) .....

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

अनुबंध

24 फ़रवरी, 2022 और 14 मार्च, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

* संलग्न नहीं है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री रविशंकर प्रसाद
13. प्रो. सौगत राय
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. श्री गोपाल शेट्टी
16. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री बालासुरी वल्लभनेनी
20. श्री राजेश वर्मा
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री अहमद अशफाक करीम
23. श्री सुशील कुमार मोदी
24. श्री ए. नवनीतकृष्णन
25. श्री प्रफुल्ल पटेल
26. डॉ. अमर पटनायक
27. श्री महेश पोद्दार
28. श्री सी. एम. रमेश
29. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री मेलोडी वुंगथियानसियम	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह बयालीसवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) को 7 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था ।

3. समिति ने 24 फरवरी, 2022 को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया । समिति कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में समिति को वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है ।

4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (*शक*)

श्री जयंत सिन्हा,
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति ।

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधिदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु वृहत संख्या में संविधियों का प्रशासन शामिल है जो कि नीचे दिया गया है:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013/कंपनी अधिनियम, 1956,

(ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008,

(iii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,

(iv) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016,

(v) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949,

(vi) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959,

(vii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,

(viii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में)

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

दो. कार्य

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य दायित्व इस प्रकार है:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का प्रशासन।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की शेष धाराओं को अधिसूचित करना।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न संविधियों के अधीन नियम और विनियमन तैयार करना।

(iv) भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपण करना।

(v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन करना।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन करना।

(vii) कारपोरेट कार्यकरण में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए तंत्र का निर्माण करना।

(viii) निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(ix) गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ियों का पता लगाना।

(x) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) संवर्ग का प्रबंधन करना।

(xi) आईआईसीए, एसएफआईओ, सीसीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और आईबीबीआई नामक संबद्ध संगठनों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।

3. एमसीए देशभर में अर्धन्यायिक निकायों सहित अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों की सहायता से इन कार्यों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करता है। इसमें सात क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय के साथ, सत्रह कंपनी पंजीयकों के कार्यालय (आरओसी), नौ कंपनी-सह-शासकीय समापकों के कार्यालय (आरओसी-सह-ओएल), चौदह शासकीय समापकों के कार्यालय (ओएल), पांच सांविधिक निकाय यथा (i) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, (ii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), (iii) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), (iv) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), (v) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफओ) प्राधिकरण, दो अर्धन्यायिक निकाय यथा (i) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), (ii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), एक स्वायत्त निकाय यथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और दो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें यथा (i) कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम), (ii) चैंपियन क्षेत्र की स्कीम अर्थात् "जीएसटी लेखा सहायक" शामिल हैं।

तीन. बजटीय आवंटन और उपयोग

4. मांग संख्या 17 के अधीन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुदानों में सॉफ्टवेयर विकास और उपर्युक्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिवालय, उसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, अर्धन्यायिक सांविधिक निकायों और स्वायत्त संस्थानों के वेतन और खर्च को पूरा करने सहित आधारभूत अवसंरचना के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण का प्रावधान है। मंत्रालय द्वारा ब.अ. 2022-23 के लिए मांगी गई कुल धनराशि 860.43 करोड़ रुपये थी, जिसके विपरीत ब.अ. 2022-23 में 733.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुल ब.अ. आवंटन में से 693.02 करोड़ रुपये राजस्व मद के अधीन हैं और 40.50 करोड़ रुपये पूंजी मद के अधीन हैं।

5. वर्ष 2018-19 से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का सारांश निम्नवत है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन			संशोधित प्राक्कलन			वास्तविक व्यय			सरेंडर		
	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल
2018-19	26.50	537.65	**564.15**	36.00	558.98	**594.98**	35.97	544.45	**580.42**	0.00	19.22	**19.22**
2019-20	41.00	545.34	**586.34**	12.50	563.50	**576.00**	12.45	549.66	**562.11**	28.50	15.52	**44.02***
2020-21	52.00	675.62	**727.62**	35.22	644.78	**680.00**	33.37	618.17	**651.54**	18.46	11.82	**30.28**
2021-22	51.00	661.13	**712.13**	40.30	619.45	**659.74**	10.56	421.42	**479.18^**	-	-	-
2022-23	40.50	693.02	**733.02**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*वापसी की गई कुल राशि 44.02 करोड़ रुपये में से 38.84 करोड़ रु. तकनीकी वापसी राशि थी जो प्रथम बैच (12.85 करोड़ रु.), दूसरा बैच (5.51 करोड़ रुपये), आरई स्तर में बजट आबंटन में कमी के कारण (10.34 करोड़ रु.) के अंतर्गत अनुपूरक रूप से प्रदान किया गया, और पूंजी खंड(10.14) में अधिक बचत की उपलब्धता नहीं होने के कारण दूसरी पूरक की निधि की वापसी की गई थी। अतः वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक वापसी (की गई कुल वापसी राशि (44.02 करोड़ रुपये) – तकनीकी वापसी राशि(38.84 करोड़ रु.)) 5.18 करोड़ रुपये है।

^22.02.2022 की स्थिति के अनुसार

2018-19: कुल बजट 564.15 करोड़ रुपये था जो बाद में सं.अ. स्तर पर बढ़कर 594.98 करोड़ रुपये हो गया। वास्तविक व्यय 580.42 करोड़ रुपये था (अर्थात् 97.76%) और वापिस राशि 19.22 करोड़ रुपये थी (अर्थात् सं.अ. की 3.23%)।

2019-20: एमसीए के लिए कुल ब.अ. 586.34 करोड़ रुपये है जो सं.अ. स्तर पर कम होकर 576.00 करोड़ रुपये हो गया है। वास्तविक व्यय 562.11 करोड़ रुपये था (अर्थात् 97.58%)। वापिस की गई कुल राशि 44.02 करोड़ रुपये थी जिसमें 38.84 करोड़ रु. तकनीकी वापसी राशि सहित वास्तविक वापिस राशि 5.18 करोड़ रुपये है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

2020-21: एमसीए के लिए कुल ब.अ. 727.62 करोड़ रुपये था जो सं.अ. चरण पर कम होकर 680.00 करोड़ रुपये हो गया। वास्तविक व्यय 651.54 करोड़ रुपये (अर्थात् 95.81%) था और वापिस की गई राशि 30.28 करोड़ रुपये (अर्थात् सं.अ. का 4.45%) थी।

6. मंत्रालय ने एक लिखित टिप्पण में सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण राशि अभ्यर्पित हुई। साथ ही, सं.अ. 2020-21 के आवंटन तक 5% का मासिक वित्तीय प्रतिबंध लागू था। इसके अलावा, कोविड-19 की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम महीने में विक्रेताओं से प्रत्याशित विभिन्न बिल प्राप्त नहीं हो सके जिसकी वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में अभ्यर्पित राशि में वृद्धि हो गई।

7. वे मुख्य क्षेत्र, जहां बजट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के सम्बन्ध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

(i) एमसीए21 पोर्टल के वर्जन 3.0 को चरणबद्ध रूप में लागू करना।

(ii) मंत्रालय के अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों के संचालन हेतु किराए पर लिए गए विभिन्न भवनों का पुनरूद्धार।

(iii) किराए पर लिए गए भवनों के लिए किराया एवं कर।

(iv) एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईईपीएफ प्राधिकरण, एनएफआरए इत्यादि के कार्यालयों में विभिन्न पदों को भरना।

(v) कोलकाता में कारपोरेट भवन का निर्माण।

(vi) आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निवेशक जागरूकता के लिए विज्ञापन तथा दावों का निपटान।

(vii) आईबीबीआई की आईबीसी-21 परियोजना।

(viii) कंप्यूटर फोरेंसिक तथा डाटा माइनिंग लेबोरेट्री (सीएफडीएमएल) के लिए विभिन्न कृत्रिम उपकरणों का प्रापण और एसएफआईओ के सीएफडीएमएल यूनिट का स्तरोन्नयन भी करना।

8. आबंटित निधि के उपयोग में विलंब के कारण के बारे में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया:

" दिनांक 21.01.2022 की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय का वास्तविक व्यय 431.98 करोड़ रुपये (65.47%) है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान 2021-22 के तहत आवंटित राशि 659.75 करोड़ रुपये में से है। निधियों के उपयोग में विलंब होने के दो मुख्य कारण हैं- (i) इस मंत्रालय को कोविड-19 महामारी की वजह से मितोपभोग उपाय के रूप में दूसरी तिमाही, 2021-22 के दौरान कुल बजट अनुमान 2021-22 (अर्थात 712.13 करोड़ रुपये) में से 20% ही खर्च करने का प्रतिबंध वित्त मंत्रालय द्वारा जारी (दिनांक 30.06.2021 के व्यय प्रबंधन दिशानिर्देश, एमईपी/क्यूईपी के संदर्भ में, के अनुसार) था; (ii) अप्रैल-जून, 2021 के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर का विभिन्न कार्यकलापों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2021-22 की चौथी तिमाही के लिए व्यय की अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की गई तथा इस अवधि के दौरान व्यय का स्तर काफी अधिक बढ़ गया है। दिनांक 16.02.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय की राशि 468.73 करोड़ रुपये अर्थात् 71.04% है।

9. साक्ष्य के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"पिछले तीन वर्षों के दौरान, हम औसतन लगभग 96-97 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इस वर्ष हम 73 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि हम 95 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचने में सक्षम होंगे। शुरुआती महीनों में हम ज्यादा खर्च नहीं कर कर सके शायद, कोविड के प्रभाव के कारण, और फिर कुछ संगठनों में हमारे पास जो पद हैं, उन्हें भरना है।"

10. यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय केवल एक महीने के शेष होने पर 95 प्रतिशत व्यय तक पहुंचने की उम्मीद कैसे कर सकता है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

"पूंजीगत कार्यों पर कुछ खर्च अब होने जा रहा है। फिर, दूसरी तिमाही के दौरान, उस राशि पर कुछ प्रतिबंध था जो हमें खर्च करनी प्रस्तावित थी, जिसे इस वर्तमान तिमाही में हटा दिया गया है। इसके बाद, हम कुछ रिक्तियों को भरने में सक्षम रहे हैं। उस पर खर्च भी होगा। हमने इसकी समीक्षा की है। हमारे सचिव ने भी इसकी समीक्षा की है। हमें उम्मीद है कि हम समग्र रूप से 95 प्रतिशत तक पहुंचने में सक्षम होंगे। एमसीए 21 संस्करण 3 के कुछ मॉड्यूल मार्च में शुरू हो रहे हैं। इसलिए, व्यय मार्च महीने के अंत तक रखा गया है। इसलिए, मार्च के महीने में, हम ई-गवर्नेंस पर अच्छे व्यय की उम्मीद करेंगे जो कि हमारा प्रमुख व्यय शीर्ष है।"

चार. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मुद्दे

(क) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी)

बजट उपयोगिता :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2019-20	59.47	63.44	59.69
2020-21	59.62	59.54	56.36
2021-22	65.77	66.46	53.19*
2022-23	70.27	-	-

*18.02.2022 की स्थिति के अनुसार

11. मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में पंजीकृत तथा बंद हुई कंपनियों के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दिया है:

31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में कंपनियों के बारे में सार विवरण		
1	दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कंपनियां	22,76,448
2	बंद हो गई कंपनियों की संख्या	7,87,953
i	*परिसमापन/विघटित कंपनियों के संख्या*	11,152
ii	*मृत प्राय/स्ट्रक ऑफ कंपनियों की संख्या (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248)*	7,27,953
iii	*समामेलित / विलयित कंपनियों की संख्या*	28,370
iv	*एलएलपी में संपरिवर्तित तथा विघटित कंपनियों की संख्या*	4,876
3	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय पड़ी कंपनियों की संख्या	2,355
4	परिसमापन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की संख्या	7,014
5	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत स्ट्रक ऑफ की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों की संख्या	34,554
6 (1-2-3-4-5)	**सक्रिय कंपनियों की संख्या**	**14,44,572**

कंपनियों के निगमन के संदर्भ में आवेदन फाइल करना और उनका स्वैच्छिक रूप से बाहर निकलना और उनकी प्रोसेसिंग एमसीए21 पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

मंत्रालय ने कंपनियों तथा एलएलपी के निगमन हेतु फाइल किए गए आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना की है। सीआरसी की स्थापना होने से, कंपनियां तथा एलएलपी औसतन एक दिन के भीतर निगमित हो रही हैं, यदि निगमन के लिए आवेदन सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ फाइल किए जा रहे हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के निगमन हेतु स्पाइस+ प्ररूप लागू किया है। **स्पाइस+ एक एकीकृत वेब फॉर्म** है। स्पाइस+ के दो भाग हैं अर्थात : **भाग क**- नई कंपनियों के लिए नाम आरक्षण हेतु तथा **भाग ख (एजीआईएलई प्रो-एस)** – अनेक निम्नलिखित सेवाओं की प्रदायगी हेतु यथा:

(i) निगमन (ii) डीआईएन आबंटन (iii) पैन का अनिवार्य रूप से जारी करना (iv) टैन को अनिवार्य रूप से जारी करना (v) ईपीएफओ पंजीकरण को अनिवार्य रूप से जारी करना (vi) ईएसआईसी पंजीकरण को अनिवार्य रूप से जारी करना (vii) पेशेवर कर पंजीकरण को अनिवार्य रूप से जारी करना (महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल) (viii) कंपनी के लिए बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोलना तथा (ix) जीएसटीआईएन का आबंटन (यदि इसके लिए आवेदन किया गया हो) (x) दिल्ली के लिए दुकान तथा प्रतिष्ठान का पंजीकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने निगमन के समय ही बैंक अकाउंट प्रदान करने के लिए नौ प्रमुख बैंकों के साथ एकीकरण किया है। ये बैंक हैं : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय सी-पीएसीई (सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेटेड कारपोरेट एक्जिट) की स्थापना करने की प्रक्रिया में है ताकि कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक समापन हेतु फाइल किए गए आवेदनों की प्रोसेसिंग में तेजी लाई जा सके। अभी तक, स्वैच्छिक एक्जिट से संबंधित एसटीके-2 फार्म विभिन्न राज्यों में कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस किए जा रहे हैं। सी-पीएसीई में प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी। इससे कारपोरेटों को व्यवसाय से एक्जिट करने में तेजी लाने में सुगमता होगी।"

12. एमसीए21 के वर्जन 3 के कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रगति के सम्बन्ध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

"एमसीए21 वर्जन 3 को चरणबद्ध रूप से लागू किए जाने की योजना बनाई गई है। दिनांक 26 मई, 2021 को एमसीए21 वर्जन 3.0 के प्रथम चरण को एमसीए अधिकारियों के उपयोग हेतु पुनर्निर्मित वेबसाइट, ई-बुक, ई-परामर्श मॉड्यूल तथा ई-मेल सिस्टम के साथ लागू किया गया था। अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) दिनांक 15 अक्तूबर, 2021 को, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क 15 नवंबर, 2021 को लागू किया गया है तथा पूर्ववर्ती वर्जन 2 से वर्जन 3 में नेटवर्क अंतरण 23 नवंबर, 2021 को कार्यान्वित किया गया है। इसके शुभारंभ का अगला चरण मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में एलएलपी मॉड्यूल के रोलआउट के साथ मार्च, 2022 से किए जाने की योजना है। ई-अधिनिर्णयन मॉड्यूल, सीएसआर तथा आईईपीएफए के लिए वेबसाइट, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली एवं प्रवर्तन मॉड्यूल मार्च, 2022 के अंतिम सप्ताह तक आरंभ किए जाने की संभावना है। कंपनी मॉड्यूल को अप्रैल-मई, 2022 तक लॉन्च किए जाने की योजना है।"

(ख) गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ)

13. गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) बहुआयामी जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 02.07.2003 के संकल्प के माध्यम से की गई, जिसका उद्देश्य गंभीर कारपोरेट कपट का पता लगाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 ने अन्य बातों के साथ एसएफआईओ को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और अधिनियम ने बाद में समर्थकारी प्रावधानों के माध्यम से इसके कार्य और शक्तियों को बढ़ाया है। एक बहु विषयक जांच एजेंसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कारपोरेट, विधि फारेंसिक जांच, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कारपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। इसका अध्यक्ष निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के हैं। निदेशक की

सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं।

14. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के तहत आवंटित निधि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2019-20	24.36	22.05	21.87
2020-21	23.05	27.14	27.80
2021-22	29.23	36.13	30.99*
2022-23	40.14	-	-

*22.02.21 की स्थिति के अनुसार

15. वर्ष 2021-22 के आवंटन तथा 2022-23 हेतु निधियों के आवंटन में बढ़े हुए संशोधन के कारणों के बारे में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया:

"2021-22 में आबंटन में बढ़े हुए संशोधन के कारण निम्नलिखित हैं:

क) आरओ मुंबई/कोलकाता के लिए किराए पर लिए गए आवास के किराए/किराए की बकाया राशि के भुगतान की वजह से शीर्ष आरआरटी में काफी वृद्धि हुई थी।

ख) इस अवधि के दौरान अतिरिक्त आउटसोर्स स्टाफ को लगाए जाने की वजह से मुख्यालय व्यय में वृद्धि हुई थी।

ग) विज्ञापन तथा प्रचार शीर्ष में अन्य न्यायिक मामलों तथा विभिन्न रिक्त पदों के बार-बार विज्ञापन किए जाने की वजह से काफी वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं:

क) ऐसी प्रत्याशा है कि अधिकांश रिक्त पद इस वर्ष के दौरान भर जाएंगे जिसके लिए शीर्ष "तनख्वाह" के तहत आवंटन में वृद्धि अपेक्षित होगी। इसके अलावा, शीर्ष "कार्यालय व्यय" अनुरूप वृद्धि अपेक्षित होगी।

ख) इस कार्यालय ने अन्वेषण दलों तथा अभियोजन प्रभागों को सहायता प्रदान करने के लिए सीए फर्मों तथा विधिक फर्मों को कार्य पर लगाने की पहले ही योजना बनाई है। हाल ही में कुछ सीए फर्मों को लगाया गया है और विधिक फर्मों को कार्य पर लगाए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस तरह, शीर्ष "पेशेवर सेवाओं" के अंतर्गत बढ़ा हुआ आवंटन अनुबद्ध है।

ग) फॉरेंसिक लैब का स्तरोन्नयन किया जाना है जिसके लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर/विश्लेषणात्मक उपकरणों की संस्थापना करने की अपेक्षा होगी तथा अन्वेषण दलों की सहायता की जा सके, जिसके लिए शीर्ष "सूचना प्रौद्योगिकी" के तहत ऊर्ध्वमुखी आवंटन अपेक्षित है। "

16. एसएफआईओ में जाँच किये गए मामलों के विवरण के सम्बन्ध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"विगत वर्षों के दौरान अभ्यर्पित तथा पूरे किए गए मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	अभ्यर्पित किए गए अन्वेषण		पूरे किए गए मामले	
	मामले	कंपनियां	मामले	कंपनियां
2018-19	33	414	13	79
2019-20	26	326	14	356
2020-21	20	69	07	25
2021-22 (15.02.2022 की स्थिति के अनुसार)	07	49	11	13

आज की स्थिति के अनुसार, कुल 94 अन्वेषण मामले प्रगति पर हैं, जिनमें 720 कंपनियां शामिल हैं, दो मामले न्यायालय के स्थगन आदेश के अधीन हैं, जिनमें 11 कंपनियां शामिल हैं।

अभियोजन के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या		सफलतापूर्वक अभियोजित (प्रतिशत)
	निपटाई गई	निपटाए गए मामलों में से दोषसिद्धि साबित की गई	
1194	471	339	71.97%

17. अभियोजन मामलों के निपटान में विलम्ब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया:

" अभियोजन मामलों के निपटान में विलंब होने के कारण निम्नवत हैं:

क) यह उल्लेखनीय है कि संबंधित न्यायालयों में मामले को फाइल करने के बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जानी अपेक्षित होती है। आपराधिक अभियोजन की प्रक्रिया में अनेक चरण शामिल होते हैं, जैसे समनपूर्व साक्ष्य, आरोपित व्यक्ति को समन देना, संज्ञान, आरोप पूर्व साक्ष्य, प्रति जांच, बहस इत्यादि। जब तक सभी आरोपित

व्यक्तियों के लिए एक चरण पूरा नहीं होता है, न्यायालय किसी भी आरोपित व्यक्ति के प्रति अगले चरण की कार्यवाही की ओर नहीं बढ़ सकता है।

ख) एसएफआईओ अन्वेषण रिपोर्ट काफी विस्तृत होती है और इसके साथ हजारों अनुबंधों को संलग्न करना पड़ता है और ऐसे विपुल स्वरूप के दस्तावेजों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना एक दीर्घावधिक प्रक्रिया होती है।

ग) यह भी उल्लेख किया जाता है कि अधिकांश अन्वेषण रिपोर्टों में आरोपित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक होती है तथा समन को जारी करने इत्यादि तथा बहुत अधिक आरोपित व्यक्तियों के लिए साक्ष्य जुटाने में सुनवाई के अनेक दौर से गुजरना पड़ता है।

घ) विभिन्न आरोपित व्यक्तियों माननीय न्यायालय के आदेशों की चुनौती उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में करते हैं, पर कभी कभी ऐसे मामलों पर परिणाम आने तक ऐसी कार्यवाही पर स्थगन लगा दिया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नामित विशिष्ट न्यायालय अन्य अपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तथा इस कारण अन्य मामलों में भी न्यायिक समय लगता है।"

18. रिक्तियों को भरने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में, मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

- पोस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 20% की दर से दिया गया विशेष सुरक्षा भत्ता
- डीओई द्वारा अनुमोदित कैडर पुनर्गठन - अतिरिक्त 105 पदों का सृजन - 2 वर्षों में भरा जाएगा
- प्रतिनियुक्ति पर 75 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित
- 'सिंगल विंडो' प्रणाली के अंतर्गत 5 प्रतिनियुक्ति पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा यूपीएससी के पास 23.02.2022 को 5 और पदों को भरने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5 सीधी भर्ती (डीआर) पदों को भरने का प्रस्ताव, यूपीएससी/एसएससी को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
- 'सिंगल विंडो' प्रणाली के अंतर्गत यूपीएससी को 32 सीधी भर्ती (डीआर) पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

19. स्थायी संवर्ग, प्रतिनियुक्ति और एनकेडर्ड पदों की स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत प्रस्तुत किया:

कुल स्वीकृत पद -238		
सीधी भर्ती के अंतर्गत पद (75)	नामांकन के आधार पर भरे जाने वाले पद (16)	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पद (147)
30 भरे गए पद	11 भरे गए पद	51 भरे गए पद
45 रिक्तियां	05 रिक्तियां	96 रिक्तियां

(ग) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)

20. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन 1 जून, 2016 को अधिसूचित किया गया। इन निकायों का गठन कॉर्पोरेट विवादों के शीघ्र समाधान हेतु और साथ ही देश में 'व्यापार में सुगमता' को प्रोत्साहन देने हेतु एजेंसियों की बहुलता को कम करने के लिए किया गया है। एनसीएलटी के गठन के साथ ही कम्पनी विधि बोर्ड(सीएलबी) समाप्त हो गया और सीएलबी के पास लंबित मामले एनसीएलटी के पास चले गए । प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कॉम्पेट) का भी अस्तित्व समाप्त हो गया है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अपीलीय कार्य अब एनसीएलएटी को प्रदान किया गया है।

एनसीएलटी के अंतर्गत निधि का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
2019-20	52.15	60.53	63.34
2020-21	69.13	78.92	77.23
2021-22	84.01	83.24	67.27*
2022-23	89.36	-	-

*16.02.2021 तक

21. एनसीएलटी हेतु निधियों के आबंटन में वृद्धि के सम्बंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया:

"एनसीएलटी की स्थापना 01.06.2016 को हुई थी और यह एक नया निकाय है और अभी भी विकसित हो रहा है। सरकार एनसीएलटी के कामकाज में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इसलिए, नई

बेंचों की स्थापना, सदस्यों की नियुक्ति, कर्मचारियों की भर्ती, ई-कोर्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के वेतन आदि के कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि के कारण एनसीएलटी के लिए आवंटन वर्षों से बढ़ रहा है। एनसीएलटी *न्यायालय शुल्क* के रूप में राजस्व भी अर्जित कर रहा है।"

22. संस्था की नवीनतम स्थिति, मामलों के निपटान और विलंब की नवीनतम स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नलिखित जानकारी दी:

"दिनांक 01.06.2016 को एनसीएलटी के गठन पर, सीएलबी के पास लंबित 5,345 मामलों को स्थानांतरित किया गया। 31.12.2021 तक, स्थानांतरण पर 4,245 अन्य मामले प्राप्त हुए और 72,435 मामले नए दर्ज किए गए, जिससे एनसीएलटी के साथ कुल मामले 82,025 हो गए इनमें से 61,243 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 31.12.2021 *की स्थिति तक* 20,782 मामले लंबित हैं। ट्रिब्यूनल *की* सापेक्ष नवीनता और बड़ी संख्या में फाइलिंग और ट्रांसफर किए गए मामलों के बावजूद, एनसीएलटी ने पिछले साढ़े पांच वर्षों में सराहनीय प्रदर्शन किया है।"

23. एनसीएलटी में लंबित मामलों की स्थिति के संबंध में मंत्रालय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि:

"एनसीएलटी में 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की अवधि इस प्रकार है:

मामलों के प्रकार	3 महीने से कम	3 से 6 महीने	6 से 9 महीने	9 से 12 महीने	एक वर्ष से अधिक
आईबीसी	1465	1348	1491	1792	7115
एमएंडए	333	178	164	197	168
अन्य	1000	564	527	537	3903
कुल	2798	2090	2182	2526	11186

24. एनसीएलटी और एनसीएलएटी में स्टाफ और जनशक्ति की कमी के मुद्दे के बारे में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया:

"एनसीएलटी की पीठों को चरणबद्ध तरीके से कार्यभार, भौतिक बुनियादी ढांचे, सदस्यों और अन्य सहायक कर्मचारियों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जा रहा है। प्रारंभ में नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और 10 स्थानों पर अर्थात् नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 10 न्यायिक खंडपीठ स्थापना की गई। 2018 में, कटक, जयपुर और कोच्चि में पीठों को अधिसूचित किया गया था। 2019 में, अमरावती और इंदौर की पीठों को भी अधिसूचित किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकार वाली पीठों की कुल संख्या 15 हो गई है। मुंबई, दिल्ली आदि

जैसे पीठों, जहां बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, में एक से अधिक अदालतें हैं। सदस्यों की उपलब्धता के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि सदस्यों की रिक्तियों को भरना एक गतिशील प्रक्रिया है और रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाता है। सरकार ने हाल ही में चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर 20 सदस्यों (11 न्यायिक सदस्य और 9 उम्मीदवारों को तकनीकी सदस्य के रूप में) नियुक्त किया है। शेष 15 रिक्तियों के लिए, प्रक्रिया शुरू की गई है और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 412(2) में प्रदान की गई एक चयन समिति का गठन किया गया है। जैसा कि 09.10.2021 को हुई इस समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था, एनसीएलटी में सदस्यों के 15 रिक्त पदों को भरने के लिए एक रिक्ति परिपत्र 13.10.2021 को जारी किया गया है। प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति विचार कर रही है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 412(4) के अनुसार समिति के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया (प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सीधी भर्ती के आधार पर) भी एनसीएलटी द्वारा शुरू की गई है, हालांकि कोविड महामारी ने 2020-2021 में प्रक्रिया को प्रभावित किया।"

25. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

अपीलो की स्थिति

अधिकरण	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	निर्णय किए गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
एनसीएलटी	82025	61243	20782
एनसीएलएटी	7355	5263	2092

पदो की स्थिति

अधिकरण	पद	स्वीकृत	स्थिति में
एनसीएलटी	अध्यक्ष	01	01
	न्यायिक सदस्य	31	22
	तकनीकी सदस्य	31	25
एनसीएलएटी	सभापति	01	01
	न्यायिक सदस्य	05	03
	तकनीकी सदस्य	06	05

26. वर्चुअल सुनवाई और ई-अदालतों के कार्यान्वयन के बारे में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एनसीएलटी की सभी बेंचों में वर्चुअल हियरिंग और ई-कोर्ट पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। सभी एनसीएलटी पीठों में जनता के लिए ई-फाइलिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है और सभी एनसीएलटी पीठों में ई-कोर्ट लाइव हो गए हैं। आम जनता के लिए मामलों की रीयल टाइम सूचना के लिए सभी स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड की तैनाती की गई है और उपयोगकर्ताओं को एसएमएस और ईमेल अलर्ट लागू किए गए हैं। सीआईएस मॉड्यूल में बैकलॉग एप्लिकेशन को मेन केस से जोड़ने का प्रावधान पूरा कर लिया गया है। एनसीएलटी में केस ट्रैकिंग के लिए मॉड्यूल प्रगति पर है। मामले की स्थिति, वाद सूची, मामले की कार्यवाही और आदेश डाटा के आदान-प्रदान के लिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी वेबसाइट के साथ सीआईएस मॉड्यूल का एकीकरण प्रगति पर है। एनसीएलटी के लिए वास्तविक समय विश्लेषण और विभिन्न कारकों (उद्योग वार, बेंच वार, अवधि, समयसीमा) पर सांख्यिकीय दृष्टिकोण के लिए सामान्य डैशबोर्ड का कार्य प्रगति पर है। एनसीएलटी में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों (केस-आयु के आधार पर) को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए रिपोर्ट प्रावधान के साथ डैशबोर्ड कार्य प्रगति पर है। निष्पादन में वृद्धि और फाइन ट्यूनिंग का कार्य किया जा रहा है।"

27. स्थगन के बाद मामलों के भारी बैकलॉग से निपटने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

> "मामले को समयबद्ध तरीके से निपटाने और विलंबिता को कम करने के लिए, सरकार और एनसीएलटी दोनों पीठों की संख्या, भारी लोड वाली पीठों की कोर्ट संख्या में और सदस्यों की संख्या के मामले में, उभरती आवश्यकता के अनुसार एनसीएलटी को लगातार मजबूत कर रही है। प्रारंभ में नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और 10 स्थानों पर 10 क्षेत्राधिकार पीठों की स्थापना 2016 में की गई थी। 2018 में, तीन और पीठों और 2019 में, दो और पीठों को अधिसूचित किया गया था, जिससे क्षेत्राधिकार वाली पीठों की कुल संख्या 15 हो गई। नई पीठों के निर्माण से मौजूदा पीठों का बोझ कम हो गया। सदस्यों की नियुक्ति नियमित रूप से की जाती है। 2019 में, सरकार ने 28 और सदस्यों को नियुक्त किया, जिससे सदस्यों की कुल संख्या 24 से 52 हो गई। 21 रिक्त पदों के लिए, जो 31 दिसंबर, 2020 तक उत्पन्न हुए, सरकार ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सितंबर-अक्टूबर, 2021 में 11 उम्मीदवारों को न्यायिक सदस्य और 10 उम्मीदवारों की तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। 31 दिसंबर, 2020 के बाद उत्पन्न होने वाली मौजूदा 15 रिक्तियों के लिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति के तत्वावधान में प्रक्रिया चल रही है और पदों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जो समिति के विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यों की क्षमता

निर्माण के लिए नियमित कोलोक्यूमों (सम्मेलनों) का आयोजन किया जा रहा है ताकि त्वरित और समान न्यायिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। एनआईसी एनसीएलटी में ई-कोर्ट और अन्य ई-गवर्नेंस समाधान लागू कर रहा है। एनसीएलटी पीठों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा भी प्रदान किया गया है और समय-समय पर इन निकायों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है। इन सभी कदमों से आने वाले वर्षों में मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और लंबित मामलों को कम करने की उम्मीद है। हालाँकि, मामलों का वर्तमान बैकलॉग कोविड-19 महामारी के कारण नियमित कार्य में निरंतर व्यवधान और बड़ी संख्या में हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोगों (आईए) के कारण है, जो कई मामलों में 50-70 तक चल रहा है। आईए की फाइलिंग और उनके निपटान में लगने वाले समय से मामले को समयबद्ध तरीके से निपटाना मुश्किल हो जाता है और किसी मामले के अंतिम निपटान के लिए किसी समयरेखा का अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। इसलिए, किसी भी ऐसी समय-सीमा का अनुमान लगाना मुश्किल है, जिसमें पूर्ण रूप से पूरे लम्बित बैकलॉग मामलों का निपटान किया जाएगा। हालांकि, सदस्यों की पूरी संख्या और महामारी का संकट समाप्त होने के बाद, बैकलॉग की स्थिति में काफी हद तक कमी होने की उम्मीद है।"

(घ) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)प्राधिकरण

28. विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने और निवेशकों के दावों को वापसी करने के उद्देश्य से किया गया था । यह निधि भारत की संचित निधि के अधीन रखी जाती है । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार सभी शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष या अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा । इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर एंड रिफंड) सेकंड अमेंडमेंट रूल्स, 2019 में प्रावधान है कि अगर क्लेम फाइल करने के तीस दिन के भीतर कंपनी द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं भेजा जाता है तो कंपनी हर दिन के लिए पचास रुपये अतिरिक्त शुल्क जो अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये होगी, देकर ऐसा कर सकती है ।

29. आईईपीएफ प्राधिकरण के तहत निधि का आवंटन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2019-20	4.72	6.04	5.66
2020-21	5.09	4.60	5.74
2021-22	5.13	6.47	5.41*
2022-23	7.04	-	-

*(22.02.2021 तक)

30. आईईपीएफ प्राधिकरण के अधीन बजट उपयोग के संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

"संशोधित अनुमान 2021-22 में वृद्धि शीर्ष – तनख्वाह के तहत वृद्धि होने की वजह से मुख्यतः हुई थी क्योंकि जीएम तथा एजीएम स्तर के नए अधिकारियों ने नौ संस्वीकृत पद के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसके आलावा, शीर्ष – कार्यालय व्यय के तहत वृद्धि संविदाकार (परामर्शदाता/कंपनी सचिव) पदों के भरे जाने की वजह से हुई है जिसके कारण कार्यभार में वृद्धि हुई है तथा कार्यालय अनुरक्षण कार्य में वृद्धि हुई है और आउटसोर्स आधार पर कार्य पर लगाए गए एमटीएस और ओए के न्यूनतम पारिश्रमिकों में वृद्धि हुई है जिससे व्यय बढ़ा है।

बजट अनुमान 2022-23 के तहत आवंटन भी संशोधित अनुमान स्तर पर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमानित व्यय में वृद्धि के लिए प्रावधान किए जाने के पश्चात तद्नुसार परिकलित किया गया है।"

31. आईईपीएफ प्राधिकरण में दायर दावों की संख्या और आवश्यक जनशक्ति बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे मंत्रालय ने एक लिखित टिप्पण में इस प्रकार बताया:

(I) दावों से संबंधित आंकड़े

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	कुल
दायर किए गए दावे	23,557	16,141	14,055	23,670	77,423
कंपनी से प्राप्त सत्यापन	9,652	16,024	10,702	15,237	51,615
निपटाए गए	1,678	7,689	14,219	23,182	46,768
स्वीकृत	877	6,989	7,262	8,481	23,609
अस्वीकृत	801	700	6,957	14,701	23,159
कंपनी/दावाकर्ता के पास लंबित					21,370
जांच के अधीन					9,285

(ii) जनशक्ति में वृद्धि के प्रयास

आईईपीएफ प्राधिकरण में कुल संस्वीकृत पद 29 हैं जिनमें से 17 पद नव संस्वीकृत पद हैं। अधिकांश पद प्रतिनियुक्ति पर है अथवा संवर्ग पद हैं। प्रतिनियुक्ति पर आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक खुला रिक्ति परिपत्र जारी किया गया है तथा प्राप्त आवेदनों पर रॉलिंग आधार पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल, महाप्रबंधक (जीएम) के स्तर के 02 पदों तथा सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) स्तर के 03 पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भर दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर कुल 29 संस्वीकृत पदों में से, 12 पद भर दिए गए हैं। अंतरिम रूप में, मंत्रालय ने बढ़े हुए कार्यभार को निष्पादित करने के लिए लोन आधार पर 04 अधिकारियों को तैनात किया है।

इसके अलावा, 10 परामर्शदाताओं, 01 मीडिया सलाहकार, 01 मीडिया सहायक, डीलिंग हैंड के स्तर पर 41 कंपनी सचिवों, 2 यंग पेशेवरों और 12 कार्यालय सहायकों को संविदा आधार पर कार्य पर लगाया गया है। 12 मल्टी-टास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग (03) तथा सुरक्षा सेवाएं (03) को भी संविदा आधार पर कार्य पर लगाया गया है ताकि सहायक सेवाओं की उपलब्धता कराई जा सके।"

(ङ) भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई)

32. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च, 2009 में विधिवत् रूप से की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना;

(ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सुस्थिर बनाना;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; और

(घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

33. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन या संयोजन नियमित करने का और यदि उसका यह मत हो कि किसी विलयन या समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव' है या पड़ने की संभावना है तो समाप्त करने का अधिकार है।

34. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के लिए निधियो का आवंटन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2019-20	79.89	55.49	55.49
2020-21	66.00	53.19	31.50*
2021-22	46.00	46.00	39.74
2022-23	46.00	-	-

*(11.02.2021 तक)

35. सीसीआई के अधीन निधियों के उपयोग पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

"राजस्व के तहत 11-2-2022 तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक व्यय 39.74 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक व्यय 68.79 करोड़ रुपये (राजस्व + पूंजी) था। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 46.15 करोड़ रुपये की जीआईए राशि जारी की। किए गए व्यय और जारी सहायता अनुदान के अंतर को प्रतिस्पर्धा निधि से पूरा किया जाता है। राजस्व के तहत बजट अनुमान 2021-22 में सीसीआई का निधि हेतु प्रोजेक्शन 61.22 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2021-22 के लिए 51.30 करोड़ रुपये था। आर्थिक कार्य के विभाग, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 46.00 करोड़ रुपये आवंटित किए। निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि निधियों का प्रशासन प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 51(3) के अनुसार गठित एक निधि प्रशासन समिति (एफएसी) द्वारा किया जाता है और आयोग के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।"

36. पिछले तीन वर्षों में सीसीआई में मामलों की समग्र लंबित स्थिति के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान इस प्रकार बताया:

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31.01.2022 तक)
वर्ष के आरंभ में लंबित मामले	217	200	168	151
वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	162	142	143	129
कुल	379	342	311	280
वर्ष में निर्णीत मामले	179	174	160	136
वर्ष के अंत में लंबित मामले	200	168	151	144

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की स्थापना के बाद से इसके तहत मामलों की स्थिति

	एंटी ट्रस्ट मामले	संयोजन मामले	कुल
स्थापना के बाद से प्राप्त मामले	1177	901	2078
निप्टान किए गए मामले	1042	892	1934
निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	88.53%	99.00%	93.07%

37. सीसीआई में रिक्त पदों को भरने और मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"क) <u>सीसीआई और डीजी कार्यालय के वर्तमान स्टाफ की स्थिति</u> :

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संक्षेप में सीसीआई) में स्वीकृत और मौजूदा पदों की संख्या और रिक्तियों का विवरण, जिसमें महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय के पद शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

कार्यालय का नाम	वर्तमान स्वीकृत संख्या	वर्तमान कार्य संख्या	वर्तमान रिक्ति स्थिति
सीसीआई	154	107	47
महानिदेशक, सीसीआई का कार्यालय	41	19	22
कुल संख्या	195	126	69

वित्तीय वर्ष 2021-22 (14.02.2022 तक) के दौरान 20 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सीसीआई और डीजी कार्यालय (10 प्रत्येक) में नियुक्त किया गया था। चयनित 02 और उम्मीदवारों (सीसीआई और महानिदेशक कार्यालय प्रत्येक में 1) के कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा है।

ख) <u>सीसीआई एवं डीजी कार्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में स्थिति:</u>

<u>सीसीआई के संबंध में स्थिति:</u>

सीसीआई में 47 रिक्त पद सीधी भर्ती कोटा, पदोन्नति कोटा और प्रतिनियुक्ति कोटा से संबंधित हैं। इन रिक्त पदों में से अधिकांश (पेशेवर स्टाफ के 26 पद) सीसीआई की सीधी भर्ती से संबंधित हैं, जिसे सीसीआई में चल रही व्यापक संवर्ग समीक्षा के कारण रोक दिया गया है।

पदोन्नति कोटा पद के संबंध में दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार सभी पात्र अधिकारी जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए, उन्हें पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। सीसीआई के पात्र उम्मीदवारों की आगे की पदोन्नति पर अगली नियत तारीख अर्थात् 01.01.2023 को विचार किया जाएगा।

जहां तक सीसीआई में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने का संबंध है, 13 पदों को शीघ्र ही प्रतिनियुक्ति के आधार पर विज्ञापित करने के लिए चिन्हित किया गया है।

<u>महानिदेशक के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने के संबंध में स्थिति:</u>

- महानिदेशक, सीसीआई कार्यालय में 20 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है और इस प्रकार भरने की प्रक्रिया जारी है।

ग) **मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन और सीसीआई और डीजी कार्यालय के व्यापक संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में प्रगति:**

- सीसीआई और महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय की व्यापक संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन का प्रस्ताव एमसीए को दिनांक 09.07.2021 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने दिनांक 06.10.2021 के पत्र के माध्यम से कुछ टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव वापस कर दिया, जिसे एमसीए द्वारा मांगी गई जानकारी/औचित्य के रूप में देखा जा रहा है, इसके लिए पर्याप्त समय और प्रयास की आवश्यकता है।
- भर्ती नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है।"

(च) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

38. कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) भारत में कानून के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 में सीएसआर पर प्रावधान शामिल हैं, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 ('नियम') वह ढंग निर्धारित करते है, जिसके माध्यम से कंपनियां अधिनियम के सीएसआर प्रावधान का पालन करेंगी और अनुसूची VII उन गतिविधियों की गणना करती है जिन्हें सीएसआर के रूप में किया जा सकता है। अधिनियम और नियम 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए और 01 अप्रैल, 2014 से लागू हुए

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (उप-धारा 5) में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अनुसरण में खर्च करे बशर्ते कि कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए उस स्थानीय क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां वह संचालित होती है।

40. मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर संरचना प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर गतिविधियों का फाइल दाखिल करना आवश्यक है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित सभी डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान किया गया सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
खर्च की गई सीएसआर राशि	17,097.66	20,163.18	24,863.84	20360.25 *

(31.12.2021 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

**वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डाटा परिवर्तन के अधीन है क्योंकि देर से की गई फाइलिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क की वसूली में 15.03.2022 तक छूट दी गई है।*

41. साक्ष्य के दौरान, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"पिछले साल जनवरी, 2021 में सीएसआर में बड़े संशोधन हुए हैं, जिसके माध्यम से सीएसआर प्रकटीकरण को मजबूत किया गया है। अब, कुछ कंपनियां शिकायत कर रही हैं कि अनुपालन बोझ बढ़ गया है, लेकिन हमने अब एक नया फॉर्म सीएसआर 2 पेश किया है जिसमें वे परियोजनाओं की सूची सहित सीएसआर विवरण प्रस्तुत करना होगा और जानकारी जैसे कि वे इसे कहां कर रहे हैं, किस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है, आदि। हमने इसे इस वर्ष से अनिवार्य कर दिया है। मुझे यकीन है कि अगले साल पूरा सीएसआर इस संपूर्ण प्रकटीकरण तंत्र में भारी परिवर्तन देखने जा रहा है जो एमसीए21 संस्करण 2 में आया है और एमसीए21 संस्करण 3 में जारी रहेगा। हम यह कर रहे हैं।"

42. यह पूछे जाने पर कि क्या शून्य मील या परिधीय विकास के संबंध में ग्रामीणों/दूरदराज के क्षेत्र के लिए विकास के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोई दिशा-निर्देश हैं, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

"अधिनियम की धारा 135 (5) के पहले परंतुक में प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां यह संचालित होता है। सीएसआर संबंधी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी -2018) द्वारा सीएसआर के संदर्भ में स्थानीय क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि अधिनियम में स्थानीय क्षेत्र के लिए वरीयता केवल निदेशात्मक स्वरूप है अनिवार्य प्रकृति का नहीं और कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र वरीयता को संतुलित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इसे सीएसआर के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों में पुन: उल्लेख किया, जो दिनांक 25.08.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 तहत जारी किए गए हैं।"

43. यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान सीएसआर के लिए अर्हता प्राप्त करेगा, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"यह अधिनियम किसी अन्य निधि में किसी भी योगदान को एक स्वीकार्य सीएसआर व्यय के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिसका विशेष रूप से अनुसूची VII में उल्लेख नहीं किया गया है, चूंकि मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) का उल्लेख अनुसूची VII में नहीं किया गया है और इस प्रकार उक्त निधि में योगदान एक पात्र सीएसआर गतिविधि नहीं है।"

44. सीएसआर व्यय की थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा करने की एक आवश्यकता के सम्बन्ध में समिति के सुझाव पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए 21 रजिस्ट्री में वार्षिक रुप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना आवश्यक है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के बारे में अपने लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना आवश्यक है और कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इसकी लेखापरीक्षा कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लागू की गई सीएसआर नीति का भी प्रकटीकरण करना आवश्यक है। इस प्रकार, वर्तमान वैधानिक प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि के साथ कारपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।"

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मांगी गई कुल धनराशि 860.43 करोड़ रु. जिसके समक्ष बजट अनुमान 2022-23 में 733.02 करोड़ रु. रुपये आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन पिछले वर्ष के ब.अ. और सं.अ. से क्रमशः 20.89 करोड़ रु और 73.28 करोड़ रु अधिक है। मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 में 19.22 करोड़ रु. 2019-20 में 44.02 करोड़ रु. और 2020-21 में 30.28 करोड़ रुपये की राशि अभ्यर्पित की। समिति पति है कि पिछले वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय का खर्च निराशाजनक रहा है। दिनांक 22.02.2022 तक वास्तविक व्यय 479.18 करोड़ रु. रहा जो कि 659.75 करोड़ रुपये के सं.अ. का 72.63 प्रतिशत है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे खर्च के 95 प्रतिशत से अधिक व्यय किये जाने की उम्मीद करते हैं और यह कि एमसीए संस्करण 3 के कुछ मॉड्यूल मार्च में शुरू किए जा रहे हैं, इसलिए ई-गवर्नेंस पर खर्च मार्च के अंत तक किया जाना है। समिति वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक महीने शेष रहने के साथ शेष धनराशि को व्यय करने की मंत्रालय की क्षमता के बारे में आशंकित है। समिति का मत है कि मंत्रालय की विनियामक संस्थाओं में मानव संसाधन अंतराल को समाप्त करने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि आवश्यक हो सकती है। हालांकि, बजट में वृद्धि को तभी औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है जब आवंटित निधियों का पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए न कि साल-दर-साल अभ्यर्पित करने से जैसीकी पिछले कुछ वर्षों में मंत्रालय की परिपाटी रही है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय अपने व्यय करने के पैटर्न की समीक्षा करे और वित्त वर्ष 2022-23 में निधियों के पूर्ण उपयोग को प्राप्त करने का संकल्प करे, ताकि वह कॉरपोरेट्स के विश्व स्तरीय अभिशासन के सुविधा प्रदाता होने के मंत्रालय के दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो सके। समिति का यह भी मानना है कि मंत्रालय आई टी प्रणालियों पर पर्याप्त रूप से व्यय नहीं कर रहा है। परिणामस्वरूप, वह अभी तक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवश्यक कॉर्पोरेट फाईलिंग के लिए एक प्रयोक्ता सुलभ और सरल पोर्टल स्थापित नहीं कर सका है। यह पोर्टल सामान्य जनता को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सभी के लिए जनता हेतु फाइलिंग पारदर्शी रूप से उपलब्ध हों।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निधियों के प्रस्तावित उपयोग में एमसीए21 के संस्करण 3 को तैनात करना और सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्त पदों को भरना शामिल है। समिति मंत्रालय के सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्तियों के मुद्दे को उजागर करना चाहती है। समिति महसूस करती है कि रिक्त पदों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को गंभीरता से समाधान किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिक्त पदों के विज्ञापन निकालना और उन्हें भरने में असमर्थता का एक आवधिक पैटर्न बन गया है। विभिन्न निकायों यथा एसएफआईओ के 238 स्वीकृत पदों में से 146, एनसीएलटी में 62 में से 15, आईईपीएफए में 29 में से 17 और सीसीआई में 195 में से 69 रिक्तियां हैं। इन निकायों में मामलों के विशाल बैकलॉग के विश्लेषण से पता चलता है कि पूरी क्षमता के साथ भी, मामलों के समाधान की गति रुके न तो भी धीमी रहेगी। समिति का मानना है कि न केवल रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है, बल्कि स्वीकृत संख्या में वृद्धि के लिए निधियां बढ़ाने की भी तत्काल आवश्यकता है। समिति को आशा है कि ये रिक्तियां अंतरिम रूप से कंपनी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता, प्रतिस्पर्धा अधिनियम आदि के प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा नहीं डालती हैं। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक क्षमता आयोजना अभ्यास करे, इन निकायों के बजट और इन निकायों में से प्रत्येक में केस लोड के संबंध में मानव संसाधन की आवश्यकताओं का अध्ययन करे और समिति को जल्द से जल्द अवगत कराए। ये क्षमता आयोजना अध्ययन अविलंबनीय और महत्वपूर्ण दोनों हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, इन नियामक एजेंसियों द्वारा अपनी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक और तेजी से संचालित करने पर निर्भर करती है। किन्तु पिछले कुछेक वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है। अतः, यह समिति की समझ से परे है कि मंत्रालय अपनी बजट योजना में कर्मचारियों की कमी की लगातार अनदेखी क्यों कर रहा है।

3. समिति नोट करती है कि 22.02.2022 तक एसएफआईओ के 36.13 करोड़ रूपए के सं.अ. (2021-22) में से वास्तविक व्यय 30.99 करोड़ रु. है। एसएफआईओ के लिए बजट आवंटन को 2021-22 के 29.23 करोड़ रूपए से बढाकर 2022-23 में 40.14 करोड़ रूपए किया गया है। मंत्रालय ने आवंटन में वृद्धि के विभिन्न कारणों का हवाला दिया है जिसमें रिक्त पदों को भरना, सीए और कानून फर्मों की नियुक्ति और फोरेंसिक लैब का उन्नयन शामिल है। दर्ज की गई 1194 शिकायतों में से 471 मामलों का निपटारा 71.97 प्रतिशत की अभियोजन दर के साथ किया गया

है, जिसमें से 723 मामले लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मामलों के निपटारे में देरी के कारणों में विस्तृत जांच रिपोर्ट के वृहत दस्तावेज और बड़ी संख्या में आरोपी व्यक्ति शामिल हैं, जो इसे एक समय लेने वाली प्रक्रिया बनाते हैं। तथापि, तथ्य यह है कि 238 की कुल स्वीकृत संख्या में से 146 पद रिक्त हैं, जो कि 60 प्रतिशत से अधिक रिक्ति होने के कारण बहुत समय तक नहीं चलाया जा सकता। समिति का मानना है कि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 133 पदों से बढ़ाकर 238 पद करने से कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि इससे केवल रिक्तियां अधिक हुई हैं। समिति ने साल दर साल संगठन में भारी रिक्तियों और रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता को इंगित किया है। समिति चाहती है कि एसएफआईओ में रिक्तियों को अगले वित्तीय वर्ष के भीतर त्वरित रूप से भरा जाए ताकि संगठनों के मामले निपटान दर में वृद्धि हो सके और इसे जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिल सके।

4. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के लिए धन का आवंटन 2021-22 में 83.24 करोड़ रुपये (आरई) से बढ़ाकर 2022-23 में 89.36 करोड़ रु (बीई) कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि नई पीठों की स्थापना, सदस्यों की नियुक्ति, कर्मचारियों की भर्ती आदि के लिए निधियों में वृद्धि की गई है। पिछले तीन वर्षों में एनसीएलटी में लंबित मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत तक 20000 से अधिक मामले लंबित हैं। 2019, 2020 और 2021 के अंत में लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 20542, 21259 और 20782 थी और कुल 11186 मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। मामलों के लम्बित होने के बारे में, मंत्रालय ने विभिन्न कारणों का हवाला दिया है, जिसमें कोविड -19 महामारी के कारण व्यवधान और बड़ी संख्या में हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोग शामिल हैं। समिति नोट करती है कि वर्तमान में कुल 15 न्यायिक पीठ 47 सदस्यों के साथ कार्य कर रही हैं और 15 सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। समिति को लगता है कि यदि 62 सदस्यों की पूर्ण स्वीकृत संख्या होती तो भी वे मामलों के विशाल बैकलॉग को तेजी से निपटाने की क्षमता नहीं रखते और समिति इस बात से चिंतित है कि लंबित मामले वर्षों तक खिंचते रहेंगे। समिति चाहती है कि कॉरपोरेट विवादों के तेजी से समाधान और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय को लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने हेतु बजटीय और जनशक्ति क्षमता संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना चाहिए तथा आवश्यक ढांचागत और जनशक्ति की

आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, चाहे वह निधि आवंटन में वृद्धि करना हो, पीठों की संख्या में वृद्धि करना हो या सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना हो।

5. समिति नोट करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के लागू होने के साथ, भारत कानूनी रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया। अधिनियम के अंतर्गत, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अनुसरण में खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 135 (5) में प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां वह काम करती है। समिति ने पाया कि धारा 135 की उप धारा 5 की विशेष रूप से भारी उद्योग और खनन गतिविधियों में काम करने वाली कंपनियों द्वारा घोर उपेक्षा की गई है। समिति ने अनुदानों की मांगों (2018-19) पर अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की थी कि सीएसआर अधिदेश के विधायी संकल्प को संरक्षित करने के लिए धारा 135(5) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय क्षेत्र स्तर पर वांछित व्यय किया जा सके। मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्थानीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे की सीएसआर (एचएलसी-2018) संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई थी और यह पाया गया कि अधिनियम में स्थानीय क्षेत्र को वरीयता केवल निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। समिति ने अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश दोहराई और इच्छा व्यक्त की कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। समिति आगे चाहती है कि क्षेत्रवार शीर्ष दस निजी कंपनियों, जैसे खनन क्षेत्र, रियल एस्टेट क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र आदि के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्रवार सीएसआर खर्च का विश्लेषण किया जाए और तीन माह की अवधि के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाए। समिति का सुझाव है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान को अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, समिति सीएसआर के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में निगरानी तंत्र के बारे में चिंतित है और यह पाती है कि कंपनियों द्वारा सीएसआर खर्च के बारे में जानकारी अपर्याप्त है और एक आम व्यक्ति के लिए इस तक पहुँच पाना मुश्किल है। यद्यपि मंत्रालय की राय है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करते हैं, तथापि समिति सिफारिश करती है कि कॉर्पोरेट कार्य

मंत्रालय द्वारा सीएसआर खर्च का तृतीय पक्ष ऑडिट किया जा सकता है जो सीएसआर प्रकटीकरण और सीएसआर खर्च के सम्बन्ध में कंपनियों की जवाबदेही में पारदर्शिता लाएगा।

नई दिल्ली;
14 *मार्च*, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (*शक*)

श्री जयंत सिन्हा,
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22)की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. श्री मनीष तिवारी
11. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

12. श्री सुशील कुमार मोदी
13. श्री ए. नवनीतकृष्णन
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. डॉ. अमर पटनायक
16. श्री महेश पोद्दार
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया:-

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह चालीसवां प्रतिवेदन

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह इकतालीसवां प्रतिवेदन

(तीन) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह बयालीसवाँ प्रतिवेदन

(चार) योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह तैंतालीसवां प्रतिवेदन

(पांच) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन

3. समिति ने कुछ चर्चा के पश्चात् अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में चालीस से चवालीस प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया। समिति ने 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021' पर प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करना स्थगित कर दिया, क्योंकि सदस्यों ने विधेयक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ और समय मांगा।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।